



जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, धनबाद

(यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम)



अति अल्पकालिन निविदा का सूचना

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, R.N.T.C.P. धनबाद के लिए खखार जाँच में प्रयुक्त रसायन/उपकरण यथा Sputum Container with label, Universal Container fro culture DST, Sprit Lamp, Slide Box, Phenyl, sprit, Glass Slide, Basic FuchSION Power, Mythline Blue Powder, Sulphuric Acid (conc.) carbolic Acide/Phenol Liquid Paraffin Oil, Ethnol 99.9% pure, Distiled Water, Tissue Roll, Zipper, Parafilm, Diamond Marker Pencil, Auramine O, Potassium per magnet, HCL 35% Pure, Disposable Van (5ml), Hands Gloves, Mask Disposable, Savlone, Cotton, Conical Flask (500 ml & 50 ml), Marker Pen, Match Box, Lifeboy Soap (50), Lense Paper, Glass Rod Electronic Machine, Filter Paper & Foot Operated Bucket उच्च गुणवत्ता वाले समाग्री इत्यादि का दर निर्धारण हेतु निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से निम्नलिखित शर्त पर दो भाग में मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, जिला यक्ष्मा नियंत्रण समिति, धनबाद में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 26.09.19 के अपराहन 5:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा की शर्त :-

1. निविदा दो भाग में होगा, तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग जिसे अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में भरकर साथ ही दोनो लिफाफा को एक लिफाफा में भर कर समर्पित करना है। दोनों लिफाफा के उपर स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में "वित्तीय भाग" एवं "तकनीकी भाग" अंकित होना चाहिये।
2. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 2000.00 (दो हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो "DISTRICT RURAL HEALTH SOCIETY RNTCP, DHANBAD" के नाम से देय हो जमा करना आवश्यक है।
3. निविदा के साथ GST निबंधन प्रमाण पत्र एवं तीन वर्ष का अधतन Income Tex विवरणी संलग्न करना होगा।
4. निविदा में अंकित मूल्य सभी कर सहित होगा, किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. किसी निर्माता/अधिकृत विक्रेता का दर स्वीकृत होने पर निविदादाता को जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति धनबाद R.N.T.C.P. से प्राप्त आदेश के 15 दिनों के अन्दर रसायन/उपकरण की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में अंकित मेक एवं विवरणी के अनुरूप रसायन/उपकरण का आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। आपूर्ति में भिन्नता पाये जाने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए निर्माता/आपूर्तिकर्ता को काली सूची में दर्ज करने हेतु अग्रतत्तर कार्रवाई की जाएगी।
7. आपूर्ति किये गए रसायन उपकरण का भुगतान "DISTRICT RURAL HEALTH SOCIETY RNTCP, DHANBAD" द्वारा किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. निविदा को पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का पूर्ण अधिकार का "DISTRICT RURAL HEALTH SOCIETY RNTCP, DHANBAD" होगा।
9. Reagent/ Consumables की सूची धनबाद जिला के वेबसाइट <http://dhanbad.nic.in> पर उपलब्ध करा दी गयी है।
10. वैधानिक मामलों के निष्पादन हेतु न्यायिक क्षेत्र धनबाद होगा।

जिला यक्ष्मा पदाधिकारी
धनबाद

ज्ञापांक 515 / धनबाद, दिनांक 16/9/19

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता (वि0व्य0) सह वेब मैनेजर, धनबाद से अनुरोध है कि संलग्न Reagent/ Consumables की सूची वेबसाइट <http://dhanbad.nic.in> पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, धनबाद से अनुरोध है कि उक्त सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

जिला यक्ष्मा पदाधिकारी
धनबाद।